UPBJ160000102005

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नगीना, जिला बिजनौर।
पीठासीन अधिकारीः वर्तिका शुभानन्द, उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा, UP2598
फौजदारी वाद संख्याः 565/2005

सरकार बनाम **संजय पुत्र भीम सिंह विश्नोई**
निवासी ग्राम जग्गूवाला कस्बा व थाना नगीना, जिला बिजनौर।
धारा – 60/62 आबकारी अधिनियम
थाना–नगीना जिला बिजनौर।
मु0अ0सं0– 303/2005

निर्णय

थाना पुलिस नगीना जिला बिजनौर के द्वारा अभियुक्त संजय व कल्लू के विरूद्ध मु0अ0सं0 303/2005 के अंतर्गत धारा 60/62 आबकारी अधिनियम में विचारण हेतु आरोप–पत्र प्रेषित किया गया है।

दौरान विचारण अभियुक्त कल्लू के उक्त वाद में न्यायालय के समक्ष उपस्थित न आने के कारण न्यायालय द्वारा दिनांक 17.02.2026 को अभियुक्त संजय की पत्रावली अभियुक्त कल्लू की पत्रावली से पृथक की गयी तथा यह पत्रावली अभियुक्त संजय के विरूद्ध अग्रसारित हुई।

संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि दिनांक 22.04.2005 को वादी एच0सी0पी0 के0के0 शर्मा मय एच0सी0पी0 श्री राजेन्द्र सिंह व कां0 932 अजय कुमार, कां0 232 राजूपाल शर्मा के थाने से बहवाले रपट नं0 46 समय 20:10 बजे रात्रि वास्ते देहात गस्त ग्राम नन्दपुर काजीववाला ग्राम चमरावाला से गस्त करते हुए ग्राम जग्गूवाला में गांव के करीब पहुंचे तो जरिये मुखबिर खास सूचना मिली कि संजय पुत्र भीम सिंह जाति विश्नोई के घर के अंदर आंगन में कच्ची शराब खींच रही है, अगर जल्दी की जाए तो मौके पर सभी व्यक्ति पकडे जा सकते हैं। मुखबिर की सूचना पर विश्वास करके आसपास से जनता के गवाहान फराहम करने की कोशिश की गयी तो कोई भी जनता का गवाह रात्रि का नावक्त होने के कारण नहीं मिल सका तो हमराही कर्मचारीगण को ही मकसद दबिश बताकर एक दूसरे की आपस में जमा तलाशी ले देकर यकीन किया कि किसी के पास कोई नाजायज वस्तु शराब कसीदगी से संबंधित नहीं है और मुखबिर के बताये स्थन की ओर मय मुखबिर के हमराहीयान कर्मचारीगण के चल दिये तो वे लोग संजय के मकान के दरवाजे के पास जो सडक सरे आम की तरफ है, के पास दीवार व दरवाजे की आड़ से मुखबिर ने इशारा करके बताया कि ये दोनों व्यक्ति जो संजय के मकान के आंगन में आग

जलाकर चूल्हे पर रखे बर्तनों से कार्य कर रहे हैं ये ही दोनों लोग शराब खाम की नाजायज कसीदगी कर रहे हैं। मुखबिर दिखाकर व बताकर चला गया तो वादी एच0सी0पी0 व हमराही कर्मचारहीगण ने संजय की मकान की दीवार व दरवाजे की अज्ञउ से देखा तो एक व्यक्ति चूल्हे पर रखे पतीले के उपर भगौने से पानी बदल रहा है तथा एक व्यक्ति चूल्हे में लकडी के उपकरणों से एक प्लास्टिक के पाईप से जो एक कांच की बोतल से जुडा है, में बूंद पड रही है। इससे वादी एच0सी0पी0 व हमराहीयान को पूर्ण यकीन हो गया कि ये दोनों व्यक्ति भटटी के द्वारा शराब नाजायज खाम की कसीदगी कर रहे हैं। तो वादी एच0सी0पी0 व हमराहीयान ने एकदम दबिश देकर घेर घोटकर समय करीब 23:15 बजे रात्रि एक व्यक्ति को मौके पर शराब नाजायज की कसीदगी करते हुए पकड लिया तथा दूसरा साथी दीवार फांदकर भागने में सफल हो गया, जिसका पीछा कां0 अजय कुमार द्वारा कराया गया तो हाथ नहीं आया तो पकडे गये व्यक्ति से इसका नाम पूछते हुए इसकी जमा तलाशी ली गयी तो इसने अपना नाम संजय पुत्र भीम सिंह जाति विश्नोई निवासी ग्राम जग्गूवाला थाना नगीना, जिला बिजनौर बताया कि जमा तलाशी अलावा पहने कपडे के कुछ बरामद नहीं हुआ तथा मौके से भागे हुए व्यक्ति का नाम कल्लू पुत्र करन सिंह निवासी कस्बा अगवानपुर थाना सिविल लाईन मुरादाबाद बताया कि यह भी बताया कि कल्लू मेरे चचेरे भाई सुभाष, जिसका मकान मेरे मकान के बराबर में है, का साला है और करीब 6 माह से यही पर रह रहा है। मौके पर तलाशी से एक मिट्टी के चूल्हे पर जिसमें आग जल रही है के उपर एक बडी पतीली सिल्वर की जिसके उपर मिटटी की पक्की हंडिया जो गिल्ली मिटटी से चारो तरफ पतीली से भांप न निकलने के लिए सैप की की गयी है तथा हंडिया के उपर एक लोहे का टप जिसमें पानी भरा है, गिल्ली मिटटी से चिपकाया गया है, तथा हांडी के बीच से एक प्लास्टिक का पाईप जो कांच की एक बोतल में लगा है, जिससे बूंद बूंद कच्ची शराब टपक रही है व पास में ही एक जरीकेन करीब 5 लीटर की जिसमें करीब 5 लीटर शराब खाम ताजी भरी है, तथा इसके पास प्लास्टिक का मग पडा है। चूल्हे के पास में एक मिटटी का घडा जिसमें कुछ लहान भरा है, रखा है व इसके पास एक खाली बोतल कांच की पडी है। चूल्हे के उपर सभी रखे उपकरणों को चूल्हे से उतारकर अलग–अलग किये गये तथा आग तो पास में रखी पानी की बाल्टी से बुझाकर शीशी की शराब को जिसे वादी व हमराहीकर्मचारीगण ने सूंघा तो तीव्र शराब खाम की बू आ रही थी, उसी शराब शाम शराब को जरीकेन में करके पास में रखे साहन में से बोतल में नमूना साहन लिया गया व साहन के घडे को वही मौके पर तोडकर नष्ट किया गया तथा टप के पानी व पतीली के अंदर भरे साहन को मौके पर ही नष्ट किया गया। मौके पर फर्द हमराहीयान के समक्ष मुर्तिब करके फर्द मजबून हमराहीयान को पढकर सुनाकर गवाही गवाहान बनवाई गयी तथा बरामद जरीकैन 5 लीटर शराब खाम व साहन बोतल को उसके मुंह पर कपडा रखकर सील सर्वे मोहर किया गया। नमूना मोहर लिया गया। अभियुक्त की गिरफ्तारी की सूचना मौके पर आयी उसकी पत्नी विनिता को दी गयी।

वादी एच0सी0पी0 के0के0 शर्मा की उक्त फर्द तहरीर के आधार पर थाना नगीना, जिला बिजनौर में अभियुक्तगण संजय व कल्लू के विरूद्व मु0अ0सं0 303/2005 अंतर्गत

धारा 60/62 आबकारी अधिनियम में प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत की गयी।

मामले की विवेचना की गयी तथा विवेचक द्वारा प्रस्तुत प्रकरण से संबंधित गवाहों के बयान धारा 161 द0प्र0सं0 व घटनास्थल का निरीक्षण कर विवेचना में आये साक्ष्यों के आधार पर मामले की विवेचना पूर्ण करते हुए प्रस्तुत प्रकरण में आरोप पत्र अभियुक्त संजय व कल्लू के विरूद्ध अंतर्गत धारा 60/62 आबकारी अधिनियम में न्यायालय में प्रेषित किया गया। जिस पर न्यायालय द्वारा अभियुक्त के विरूद्व प्रसंज्ञान लेते हुए अभियुक्त को जरिये समन तलब किया गया।

तत्पश्चात अभियुक्त उक्त प्रकरण में उपस्थित आये और उनके द्वारा अपनी जमानत करायी गई।

न्यायालय द्वारा दिनांक 27.07.2006 को अभियुक्तगण संजय व कल्लू के विरूद्व अंतर्गत धारा 60/62 आबकारी अधिनियम में आरोप विरचित किया गया जिससे अभियुक्तगण ने इंकार किया और विचारण हेतु याचना की गई।

दौरान विचारण अभियुक्त कल्लू की अनुपस्थिति के कारण उसकी पत्रावली अभियुक्त संजय की पत्रावली से पृथक हुई तथा यह पत्रावली अभियुक्त संजय के विरूद्ध अग्रसारित हुई।

अभियोजन की ओर से अपने कथनों के समर्थन में फर्द के किसी भी साक्षी परीक्षित नहीं कराया गया जबकि अभियोजन को अपनी साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु पर्याप्त अवसर दिये गये तथा जिला मजिस्ट्रेट, बिजनौर व पुलिस अधीक्षक बिजनौर को भी पत्र प्रेषित किये गये, किन्तु किसी भी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया। जिसके अनुक्रम में न्यायालय द्वारा प्रकरण की प्राचीनता को दृष्टिगत रखते हुए दिनांक 12.05.2026 को अभियोजन का साक्ष्य का अवसर समाप्त किया गया तथा अभियुक्त संजय के बयान अंतर्गत धारा 313 द0प्र0सं0 दिनांक 12.05.2026 को अंकित किये गये, जिसमें अभियुक्त ने उक्त मुकदमें को उसके उपर झूंठे चले जाने का कथन किया गया।

विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी एवं अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता की बहस को विस्तारपूर्वक सुना तथा पत्रावली का सम्यक्रूपेण परिशीलन किया।

पत्रावली के परिशीलन से विदित है कि प्रस्तुत प्रकरण वर्ष 2005 से न्यायालय में लम्बित है, जो सन् 2006 ई0 से साक्ष्य अभियोजन हेतु नियत चला आ रहा है। इस दौरान अभियोजन की ओर से प्रस्तुत मामले में किसी भी गवाह को साक्ष्य में परीक्षित नहीं कराया गया है जबकि इस निमित्त अभियोजन पक्ष को अपना साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतू पर्याप्त अवसर दिये गये तथा जिला मजिस्ट्रेट, बिजनौर व पुलिस अधीक्षक बिजनौर को भी पत्राचार किया गया, किंतु उसके बाबजूद भी अभियोजन की ओर से प्रस्तुत मामले में किसी भी तरह के साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया। तद्नुसार मुकदमें की प्राचीनता व अभियोजन की लचर पैरवी को दृष्टिगत रखते हुए अभियोजन का दिनांक 12.05.2026 को न्यायालय द्वारा साक्ष्य का अवसर समाप्त किया गया।

अतः उपरोक्त परिस्थितियों में अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरूद्ध लगाये गये आरोपों को साक्ष्य के अभाव में साबित करने में असफल रहा है। उपरोक्तानुसार पत्रावली

पर उपलब्ध तथ्यों की समीक्षा व समीकरण से तथा विवेचना व विश्लेषण से जो प्रत्य क्षीकरण होता है, उसके सापेक्ष अभियोजन साक्ष्य के अभाव में अभियुक्त संजय को धारा 60/62 आबकारी अधिनियम के आरोप से दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

आदेश

अभियुक्त संजय को **धारा 60/62 आबकारी अधिनियम** के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्त जमानत पर हैं, उसके जमानतनामें निरस्त किये जाते हैं तथा प्रतिभूगणों को उनके दायित्व से उन्मोचित किया जाता है।

अभियुक्तगण द्वारा धारा 437–ए द0प्र0सं0 का अनुपालन किया जा चुका है।

दिनांकः **29–05–2026**

(वर्तिका शुभानन्द)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
नगीना, जिला बिजनौर।
J.O. Code. UP2598

उपरोक्त निर्णय और आदेश मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर उद्घोषित किया गया।

दिनांकः **29–05–2026**

(वर्तिका शुभानन्द)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
नगीना, जिला बिजनौर।
J.O. Code. UP2598